



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-876/MMIN/3/2023-SSW

दिनांक: 22/05/2023

श्री सुखवीर सिंह

Managing Director,

Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd.

पर्यावरण भवन, ब्लॉक न 1 द्वितीय तल (ए) जेल रोड, अरेरा हिल्स.,

भोपाल-462011(मध्य प्रदेश)

(Tel. No: 0755-2763391)

विषय: Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. द्वारा अनुसूचित जनजाति के दंपति को जबरन सेवा निवृत्ति करने के संबंध में - श्रीमती सुमित्रा बाई पली श्री दादू लाल, ग्राम/पोस्ट - मड़देवरा, तहसील - बकस्वाहा, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Smt Sumitra Bai से दिनांक Nil में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्रीमती सुमित्रा बाई,

ग्राम/पोस्ट - मड़देवरा,

तहसील - बकस्वाहा, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)

Mobile No: 8817675397

(कृपया अपना ST Certificate राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध करने का कष्ट करें)

2. NIC, NCST (please upload on the website)